

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2017 ई०।

संख्या-18/12 आ०सु० (29) 07/2009 7233 / चूँकि राज्य सरकार का विचार है कि झारखण्ड राज्य में भा०क०पा० (माओवादी) के अग्र संगठन (Frontal Organisation) मजदूर संगठन समिति की गतिविधि लोक व्यवस्था बनाये रखने में हस्तक्षेप करती है और यह कि वह लोक शांति के लिए घातक है।

अतः अपराध विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (The Criminal Law Amendment Act, 1908) (1908 का 14 वाँ अधिनियम) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार भा०क०पा० (माओवादी) के अग्र संगठन (Frontal Organisation) मजदूर संगठन समिति को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित करती है। इस संगठन के सदस्य बनने, इसे चंदा देने तथा इनकी उग्रवादी नीति से संबंधित कोई भी साहित्य या पर्णिका छापने या रखने को गैर कानूनी घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(बाल किशुन मुण्डा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 18/12 आ०सु०(29) 07/2009 7233 / राँची, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2017 ई०।

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - 18/12 आ०सु०(29) 07/2009 7233 / राँची, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2017 ई०।

प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

R-5097/NCE
29.12.17

R-13229/A
29.12.17

R-01/140PS
02/01/2018

ADL(MR)/S.B./PS/CID
14/08/14/25
29 DEC 2017
14/08/14/25

Keep it in guard
file on website
on website